कार्यालय, **पुलिस महानिरीक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **पुलिस महानिरीक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई देहरादून** की स्थापना **07/2015** से **06/2017** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री **खजान सिंह** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2017 से 17.07.2017 तक श्री **प्रेमचन्द**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक – इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

वर्तमान लेखापरीक्षा में स्थापना **07/2015** से **06/2017** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **देहरादून**

(ii) (अ)विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	–	–	59.05	59.05	30.97	30.97	–	–
2016-17	–	–	71.15	71.15	25.88	25.88	–	–
2017-18	–	–	39.27	19.51	8.19	1.58	–	–

(ब)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य(+)	बचत(-)
.....शून्य.....					

(iii)इकाई को बजट आवंटन(राज्य एवं केन्द्र सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई देहरादून 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

1.पुलिस महानिरीक्षक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

2. निरीक्षक,

3.उप-निरीक्षक,

4.आरक्षी।

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन को पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई देहरादून की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 01/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

...शून्य..................

....

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः1- रू 1435.43 लाख राजस्व की वसूली विगत दो वर्ष से लम्बित होने का प्रकरण।

कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई, देहरादून द्वारा Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 की धारा 22,23-B एवं धारा 24 के अन्तर्गत चार जनपद ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, एवं देहरादून में स्टोन क्रेशर/पट्टा/स्टॉकों में किये गये निरीक्षणों से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आकड़ों के अवलोकन में पाया गया कि संदर्भित जनपदों में कुल 137- स्टोन क्रेशर/पट्टा-स्टॉकों पर प्रश्नगत अधिनियम के अन्तर्गत कुल धनराशि रू 1840 लाख आरोपित की गयी थी, जिसके सापेक्ष संदर्भित स्टोन क्रेशर/पट्टा/स्टॉकों द्वारा कुल रू 404.93 लाख की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में राजकोष में जमा करायी गयी है, तथा अवशेष रू 1435.43 लाख की धनराशि राजकोष में जमा करवाने हेतु लम्बित है, विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	जनपद का नाम	स्टोन/क्रेशर/पट्टा/स्टॉकों की संख्या	उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुल आरोपित धनराशि	प्रथम किस्त में जमा करवायी गयी धनराशि	जमा करवाने हेतु अवशेष धनराशि
1.	ऊधम सिंह नगर	47	24835590	7533582	17302008
2.	नैनीताल	25	53627074	11463463	42163611
3.	हरिद्वार	54	79361574	17797803	61563771
4.	देहरादून	11	26212200	3698119	22514081
	योग	**137**	**184036438**	**10492967**	**143543471**

विभाग द्वारा उपरोक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में संदर्भित स्टोन/क्रेशर/पट्टा/स्टॉकों पर आरोपित की गयी थी। कुल आरोपित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू 1435.43 लाख की विगत दो वर्षों से वसूली हेतु लम्बित हैं, जो विभागीय राजस्व हानि का भी धोतक है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि राजस्व वसूली का अधिकार जिलाधिकारी के अधीन है, तथा कुछ

पार्टियों ने सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है, उक्त के सम्बंध में सम्बंधित कार्योलयो से सूचना प्राप्त करके लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **पुलिस महानिरीक्षक ,कार्यकारी अधिकारी मुख्य/ अवैध खनन□□□□□□ सतर्कता इकाई देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब मे
1	श्री संजय गुंज्याल	पुलिस महानिरीक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.05.2015	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र